



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आश्विन, 1946 (श०)

संख्या - 646 राँची, बुधवार,

9 अक्टूबर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

28 अगस्त, 2024

संख्या-5/आरोप-1-46/2020 का.-27065 (HRMS)-- श्री मुस्तकीम अंसारी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-810/03), तत्कालीन निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला के विरुद्ध उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-684(ii), दिनांक 15.07.2020 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। उक्त आरोप पत्र में मो० अंसारी के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित है:-

(i) मो० मुस्तकीम अंसारी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के सदस्य सचिव का संपूर्ण प्रभार दिनांक 20.01.2018 को प्राप्त किया तथा 20.01.2018 से दिनांक 18.02.2019 तक सदस्य सचिव के प्रभार में रहे। SBM(G) के तहत गुमला जिला अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंकेक्षण के क्रम में मे०जे०सिंह एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति दर्ज की गई थी-

(क) VWSC/VO/SHG रोकड़ पुस्त का संधारण सही ढंग से नहीं किया जाना,

(ख) आपूर्तिकर्ता के द्वारा प्रस्तुत विपत्रों से नियमानुसार आयकर की कटौती नहीं किया जाना,

- (ग) सामग्रियों के क्रय में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करते हुए बिना कोटेशन एवं निविदा आमंत्रित किए आपूर्तिकर्ता का चयन करना,
- (घ) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र खर्च होने के पूर्व ही VWSC/VO/SHG से प्राप्त करना,
- (ङ) VWSC/VO/SHG द्वारा अभिश्रव एवं खर्च का विधिवत संधारण नहीं किया जाना,
- (च) प्रमंडल स्तर पर VWSC/VO/SHG को दिए गए अग्रिम का पंजी में संधारण नहीं किया जाना,
- (छ) बैंक समाधान प्रतिवेदन का प्रमंडल स्तर पर संधारण नहीं किया जाना।

मो0 अंसारी के द्वारा स्वच्छता मिशन के पत्रांक-0, दिनांक 19.11.18 के द्वारा निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण झारखंड रांची को वित्तीय वर्ष 2017-18 का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपायुक्त से हस्ताक्षरोपरांत भेजा गया है। अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकेक्षक के द्वारा उपरोक्त बिंदुओं पर कार्रवाई नहीं किए जाने संबंधी मंतव्य अंकित किया गया है।

(ii) कार्यपालक अभियंता सह सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, गुमला के द्वारा अपने पत्रांक-180 दिनांक 07.09.2019 के द्वारा उपायुक्त को सूचित किया कि जिला जल एवं स्वच्छता समिति (मिशन प्रकल्प) गुमला के खाता संख्या 491310100063796 से फर्जी हस्ताक्षर के माध्यम से एक बड़ी राशि की निकासी विभिन्न खाता अंतरण के माध्यम से किया गया। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गुमला के द्वारा स्थानीय थाना में जिला जल एवं स्वच्छता समिति गुमला में कार्यरत कर्मियों के संबंध में सूचना देते हुए स्थानीय थाना में प्राथमिकी भी दर्ज की गयी। प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत उपायुक्त, गुमला के आदेश-787, दिनांक 11.09.2019 द्वारा जांच दल का गठन किया गया। जांच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में निम्नांकित तथ्यों के संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है-

- (क) स्वच्छ भारत मिशन की गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किया जाना,
- (ख) किसी भी स्तर पर कैश बुक का संधारण नहीं किया जाना,
- (ग) PFMS का पासवर्ड अन्य कर्मियों को सौंपना,
- (घ) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनुश्रवण एवं नियंत्रण नहीं किया जाना।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अंकेक्षक द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर ससमय संज्ञान नहीं लिए जाने के कारण स्वच्छ भारत मिशन के खाते से एक बड़ी राशि की निकासी में सहायता मिली है।

मो0 अंसारी से प्राप्त स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि इनके प्रभार ग्रहण करने तथा प्रभार सौंपने तक के संपूर्ण अवधि में नियमित रूप से कार्यपालक अभियंता पदस्थापित रहे एवं प्रमंडलीय स्तरीय कार्यालय का स्थापना सहित अन्य सभी कार्य उनके द्वारा किया जाता रहा

है। ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा ही ग्रामीण जल एवं स्वच्छता तथा प्रमंडल स्तरीय कार्यालयों का अंकेक्षण कराकर अंकेक्षण में पाई गई त्रुटियों पर संज्ञान लेकर उसका निराकरण किया जाना अपेक्षित था, परंतु उनके द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ उनके द्वारा उत्तरदायित्व से मुँह मोड़ने का कार्य किया गया है। यह स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि का अंकेक्षण निश्चित रूप से 31.03.2018 के पश्चात अर्थात् आपके कार्यकाल 20.01.2018 से 18.02.2019 की अवधि में संपन्न हुआ। अंकेक्षण में उठाया गया आपत्ति का संज्ञान में नहीं आना उनके कार्य कुशलता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। उक्त अंकेक्षण प्रतिवेदन पर संज्ञान लेते हुए इसका निराकरण/अनुपालन का दायित्व सदस्य सचिव का होता है। पुनः मो० अंसारी के द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र अलग अलग तिथियों में उपायुक्त से हस्ताक्षर के उपरांत सरकार को भेजा जाना उनकी मंशा को स्पष्ट करता है। उनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि लिपिकीय भूलवश अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न कर भेजने का उल्लेख हो गया है। यह कतई संभव नहीं है, क्योंकि अग्रसारण पत्र में स्पष्ट रूप से अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किए जाने का उल्लेख किया गया है।

श्री रमेश कुमार लोहरा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गुमला-सह-सदस्य सचिव के पत्रांक-0, दिनांक 13.07.2020 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में भी अंकेक्षक द्वारा उठाई गई आपत्तियों के निराकरण हेतु 20.02.2019 के पूर्व पदस्थापित सदस्य सचिव मो० मुस्तकीम अंसारी को उत्तरदायी बताया गया है।

(iii) पुलिस अधीक्षक, गुमला के पत्रांक 2671/अप० शा०, दिनांक 31.12.2019 एवं अनुमंडल पुलिस अधीक्षक गुमला के पत्रांक 114/20 दिनांक 03.03.2020 के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में मो० अंसारी के विरुद्ध धीरज कुमार राय, परामर्शी स्वच्छ भारत मिशन, गुमला द्वारा उनको तीस लाख रुपये रिश्वत के रूप में देने का स्वीकरोक्ति बयान दिए जाने के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है। जमीनी स्तर पर भी मो० अंसारी के कार्यकाल में जितने शौचालयों के निर्माण हेतु विभिन्न ग्रामीण जल स्वच्छता समितियों को राशि उपलब्ध करायी गयी है, के विरुद्ध शौचालयों का निर्माण नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि मो० अंसारी द्वारा शौचालय निर्माण हेतु राशि विमुक्ति में तत्परता दिखाई गई। परन्तु विमुक्त राशि का समायोजन, रोकड़ पुस्त का संधारण, शौचालयों का अनुश्रवण ससमय नहीं किए जाने के कारण सरकारी राशि का गबन/निकास हो पायी है। इसमें इनकी सहभागिता से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार उनके द्वारा सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन नहीं किए जाने के फलस्वरूप सरकारी राशि का अपव्यय एवं गबन हुआ है। उनका उक्त आचरण सरकारी सेवक के लिए निर्धारित आचार नियमावली 1976 के नियम नियम 3(1)(i)(ii) के प्रतिकूल है।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-4155, दिनांक 27.08.2020 द्वारा मो0 अंसारी से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में मो0 अंसारी के द्वारा पत्रांक-949/जि0ग्रा0, दिनांक 11.09.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। मो0 अंसारी के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-5147, दिनांक 13.10.2020 द्वारा उपायुक्त, गुमला से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-465(ii)/स्था0, दिनांक 17.06.2021 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है। उपायुक्त, गुमला द्वारा इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है एवं संतोषजनक नहीं है, प्रतिवेदित किया गया।

3. मो0 अंसारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गुमला से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-17525(HRMS), दिनांक 06.10.2022 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-38, दिनांक 24.07.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जाँच प्रतिवेदन में मो0 मुस्तकीम अंसारी के उपर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया है।

4. मो0 अंसारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान मो0 अंसारी के द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत निम्नांकित बिन्दुओं के आलोक में विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया:-

“जाँच प्रतिवेदन में अंकित है कि जिला जल स्वच्छता समिति (प्रकल्प) के खाता से फर्जी हस्ताक्षर कर निकाली गई राशि मो0 अंसारी के प्रभार अवधि का न होकर यह तत्कालीन कार्यपालक अभियंता श्री रमेश कुमार लोहरा के कार्यकाल का है। फर्जी निकासी की गई राशि के संबंध में प्राथमिकी भी दर्ज है।

परन्तु विभागीय समीक्षा के क्रम में अभिलेख एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने कार्यावधि में हस्तांतरित किये गये 97.48 करोड़ रुपये राशि के विरुद्ध आरोप पत्र के गठन तक मात्र 38.69 करोड़ का ही उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। अग्रिम राशि 58.79 करोड़ का सामंजन अबतक लंबित है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा व्यय की गई राशि/दिये गये अग्रिम का विधिवत् रोकड़ पंजी में संधारण भी नहीं किया गया है। फलस्वरूप एवं अन्य कारणों से भी उक्त अग्रिम राशि का अब तक सामंजन नहीं हो पाया है। अग्रिम राशि सामंजन न होने के कारण अपव्यय/गबन से इंकार नहीं किया जा सकता है।

आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप कि उनके द्वारा दी गई अग्रिम राशि का विधिवत् संधारण रोकड़ पंजी में नहीं की गई है, को अप्रमाणित करने के निमित्त भी कोई साक्ष्य या तथ्य आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।”

5. उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं के आलोक में विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक- 6426 दिनांक- 14.11.2023 के द्वारा मो0 मुस्तकीम अंसारी, झा0प्र0से0 से उनके विरुद्ध प्रस्तावित झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि का दण्ड के बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई।

6. मो0 अंसारी के द्वारा दिनांक- 22.11.2023 को द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित है, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया है :-

(i) उनके विरुद्ध आरोप गठित करने के क्रम में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली), 2016 के नियम-17 का अनुपालन नहीं किया गया है। आरोप गठन के क्रम में साक्ष्यों का अध्ययन नहीं किया गया है।

(ii) कई बार अनुरोध एवं स्मार के बावजूद भी प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(iii) प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी-सह-कार्यपालक अभियंता के पत्रांक-43, दिनांक 26.04.2023 से स्पष्ट होता है कि उल्लेखित आरोपों के गठन के पूर्व संबंधित संचिकाकैश बुक/दस्तावेज रजिस्टर संबंधित थाना में जब्त था और उन दस्तावेजों को बिना जांच किए एवं बिना अवलोकन किए ही आरोपों को गठित किया गया है।

(iv) चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा दर्ज आपति वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित है। उक्त अवधि में उनका पदस्थापन कार्यकाल (20.01.2018 से 31.03.2018 तक) मात्र 02 माह 10 दिन रहा है।

(v) विभागीय कार्यवाही के दौरान प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(vi) प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के पत्रांक-43 दिनांक 26.04.2023 में उल्लिखित राशि 97.48 करोड़ जिसका हस्तांतरण उनके द्वारा बताया गया है, वह राशि उपायुक्त, गुमला के स्तर से निर्गत स्पष्टीकरण ज्ञापक- 327 दिनांक - 13.03.2020 में अंकित राशि चौरासी करोड़ पन्द्रह लाख अठाइस हजार तीन सौ बियालिस रुपये से भिन्न है, इससे प्रतीत होता है कि विमुक्त की राशि की गणना सही ढंग से नहीं की गई है।

(vii) विभाग के प्रयास से समायोजित राशि के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, जिससे वास्तविक रूप से समायोजित राशि एवं असमायोजित राशि के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है।

(viii) राशि के विमुक्ति के संबंध में श्री अंसारी द्वारा प्रतिवेदित है कि तत्कालीन उपायुक्त महोदय की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही राशि के विमुक्ति का निर्णय उनके द्वारा लिया गया है तथा कई अवसरों पर उपायुक्त महोदय द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति भी दी गई। ऐसे में बिना अभिलेखों की जांच के इस तरह के आरोप लगाया जाना तथ्य से परे है तथा इनके द्वारा यह भी नहीं बताया जा रहा है कि कि राशि विमुक्ति के पूर्व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही आगे की राशि विमुक्त किए जाने का कोई प्रावधान है।

(ix) उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा अब तक समायोजित राशि के विरुद्ध कोई आरोप प्रतिवेदित नहीं करने के कारण ही संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य प्रमाणित योग्य नहीं पाया और इनके आचरण को झारखण्ड सरकारी सेवक नियमावली, 1976 के नियम 3(1)(i)(ii) के प्रतिकूल होने के आरोप को भी प्रमाणित नहीं पाया और आरोप प्रमाणित नहीं होने से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

(x) मो0 अंसारी द्वारा संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन जिसमें इनके विरुद्ध कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए पुनः समीक्षा कर आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

7. विदित हो कि संबंधित मामले में दर्ज गुमला थाना कांड सं0-305/19, दिनांक 11.09.2019 की अद्यतन प्रतिवेदन की माँग विभागीय पत्रांक-6427, दिनांक 14.11.2023 द्वारा उपायुक्त, गुमला से की गई है। उक्त के आलोक में उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-09, दिनांक 02.01.2024 द्वारा लोक अभियोजक, गुमला के पत्रांक-774, दिनांक 19.12.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करायी गयी है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित कांड को धारा 7 Prevention of Corruption Act, 1988 के अन्तर्गत होने के कारण मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गुमला के जी0आर0 सं0-84/2020 के द्वारा दिनांक 16.12.2021 के आदेश से विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची के पास विचारण एवं निष्पादन के लिए भेज दिया गया है।

8. मो0 अंसारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में आरोपी पदाधिकारी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में मुख्य रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि उनके विरुद्ध दस्तावेजों के बिना अवलोकन एवं जांच के आरोप प्रतिवेदित किया गया है। उनके द्वारा उपायुक्त के अनुमोदन के उपरांत ही राशि विमुक्त किया गया है। चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया गया आपत्ति भी उनके अल्प पदस्थापन अवधि 2017-18 से संबंधित है। उक्त अवधि में इनका कार्यकाल मात्र 02 माह 10 दिन रहा है।

परन्तु रक्षित अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने कार्यावधि में हस्तांतरित किये गये 97.48 करोड़ रुपये राशि के विरुद्ध आरोप पत्र के गठन तक मात्र 38.69 करोड़ का ही उपायोगिता प्रमाण पत्र हुआ है। अग्रिम राशि 58.79 करोड़ का सामांजन अब तक लंबित है। उनके द्वारा व्यय की गई राशि/दिये गये अग्रिम का विधिवत् रोकड़

पंजी में संधारण भी नहीं किया गया है। फलस्वरूप एवं अन्य कारणों से भी उक्त अग्रिम राशि का अब तक सामंजन नहीं हो पाया है। अग्रिम राशि सामंजन न होने के कारण अपव्यय/ गबन से इंकार नहीं किया जा सकता है।

आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप कि उनके द्वारा दी गई अग्रिम राशि का विधिवत् संधारण रोकड़ पंजी में नहीं की गयी है, को अप्रमाणित करने के निमित्त भी कोई साक्ष्य या तथ्य आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. समीक्षोपरांत श्री मुस्तकीम अंसारी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 810/03), तत्कालीन निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला के विरुद्ध समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किये जाने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

10. प्रासंगिक मामले की उच्चतर स्तर पर पुनः समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

(i) संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष में अंकित है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में आरोपी का कार्यकाल मात्र 02 माह 10 दिन अंतराल का है, शेष कार्यकाल उनके पूर्व के पदाधिकारी का है। इनके कार्यकाल के समय का कोई विशेष प्रतिवेदन या आपत्ति/आरोप नहीं है और न ही कोई साक्ष्य है।

(ii) सदस्य सचिव के किन-किन कार्यों को आरोपी पदाधिकारी को किया जाना था तथा किन कार्यों को कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जाना चाहिए था, ऐसा कोई साक्ष्य पटल पर प्रस्तुत आरोप पत्र के साथ संलग्न नहीं है।

(iii) विभागीय समीक्षा में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य से भिन्न होने का उल्लेख नहीं है बल्कि उपस्थापन पदाधिकारी के पत्र दिनांक- 26.04.2023 में उल्लेखित बिन्दु को आरोप का स्पष्ट प्रमाण मानते हुए आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध दंड अधिरोपित करने का आधार बनाया गया है, जबकि संचालन पदाधिकारी के द्वारा मामले की पूरी समीक्षा कर स्पष्ट निष्कर्ष अंकित किया गया है कि आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होता है तथा साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के उल्लेख करते हुए अंकेक्षण प्रतिवेदन संबंधी आरोप के संबंध में आरोपी पदाधिकारी को जिम्मेदार ठहराना उचित प्रतीत नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया है।

11. उपायुक्त, गुमला के पत्रांक- 425(ii) दिनांक- 29.05.2024 में उल्लेख किया गया है कि इस मामले में उनके द्वारा त्रिस्तरीय कमिटी बनाकर जांच कराई गई, जिसके प्रतिवेदन के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में अनुसंधानोपरांत दायर चार्ज शीट में श्री अंसारी का नाम अंकित नहीं है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री मुस्तकीम अंसारी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 810/03), तत्कालीन निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला के विरुद्ध अधिरोपित 'झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड से विमुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति मो0 मुस्तकीम अंसारी, झा0प्र0से0(कोटि क्रमांक-810/03) एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MUSTAQUIM ANSARI BHR/BAS/3762	श्री मुस्तकीम अंसारी, झा0प्र0से0(कोटि क्रमांक-810/03), तत्कालीन निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला के विरुद्ध अधिरोपित 'झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड' से विमुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव

जीपीएफ संख्या:20060400057
